सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 24.10.2018 को सम्पन्न मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–पंजी के आधार पर।

1. **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत राज्य कोर–नेटवर्क में अनजुड़े बसावटों के लिए चिन्हित सभी ग्रामीण पथों का प्रशासनिक स्वीकृति दिसम्बर–2018 तक दिया जाना है।**

(क) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक) अन्तर्गत चयनित सभी अवशेष पथों (जिसकी लम्बाई 1.50 कि0मी0 से अधिक) का डी0पी0आर0 दिनांक 15.11.2018 तक हर–हाल में सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/ परियोजना प्रबंधक MMGSY)

(ख) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (NDB) अन्तर्गत प्रथम चरण के लिए चयनित पथों का डी0पी0आर0 दिनांक 15.11.2018 तक ततपश्चात द्वितीय चरण के लिए चयनित पथों का डी0पी0आर0 दिनांक 30.11.2018 तक हर–हाल में सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/ परियोजना प्रबंधक MMGSY)

(ग) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (WB & NDB) अन्तर्गत चयनित पथों को छोड़कर राज्य कोर नेटवर्क के सभी अनजुड़े बसावटों के लिए अवशेष पथों (किसी अन्य मद् में ययनित योजना को छोड़कर) का प्रखण्डवार एकमुश्त प्राथमिकता सूची विहित प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 15.11.2018 तक तथा उक्त प्राथमिकता सूची के आधार पर डी0पी0आर0 दिनांक 30.11.2018 तक सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदनोपरांत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

पूरक राज्य कोर नेटवर्क–I के सभी अनजुड़े बसावटों के लिए अवशेष पथों (किसी अन्य मद् में ययनित योजना को छोड़कर) का प्रखण्डवार एकमुस्त प्राथमिकता सूची विहित प्रपत्र में अलग से तैयार कर दिनांक 15.11.2018 तक मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/परियोजना प्रबंधक MMGSY)

2.अनुसूचित जन–जाति घटक योजना के डी0पी0आर0:– वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुसूचित जन–जाति से अच्छादित बसावटों के लिए पथों की सूची (राज्य कोर नेटवर्क, पूरक कोर नेटवर्क–I में शामिल एवं असम्पर्कित बसावटों का भौतिक सत्यापन करें) दिनांक 15.11.2018 तक तथा उक्त पथों का डी0पी0आर0 दिनांक 30.11.2018 तक तकनीकी अनुमोदनोपरान्त मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना कोषांग में उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन–संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता)

3. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत एकरानामा के अनुसार कार्य पूर्ण हेने की तिथि के आधार पर दो वर्षों से अधिक लम्बित पथों:–

निदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने अधीनस्थ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत एकरनामा के अनुसार कार्य समाप्ति तिथि से दो वर्षों से लम्बित पथों का कार्य 15.11.2018 तक हर–हाल में पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय तथा MIS पर भी प्रविष्टी अद्यतन की जाय, अन्यथा संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार डिवार/एकरारनामा विखण्डन/निबंधन कालीकरण सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। इसकी समीक्षा संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने स्तर से भी करेंगे।

(अनुपालन– संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता)

4. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत MIS की स्थिति :–

(i) MIS पर प्रायः देखा जा रहा है कि कुछ पथों में एकरारनामा कर लिया गया है तथा उस पथ का तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा का कॉलम में ब्यौरा प्रविष्ट नहीं है।

(ii) समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कुछ पथ MIS पर पूर्ण है तथा उसका एकरारनामा राशि तथा तिथि अंकित नहीं है।

(iii) MIS पर कुछ पथों में देखा जा रहा है कि कार्य पूर्ण अंकित है तथा वास्तविक कार्य पूर्ण होने की तिथि अंकित नहीं है।

इस संदर्भ में कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डल के आई0 टी0 नोडल मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत सभी पथों का MIS पर अनुश्रवण करते हुए लम्बित प्रविष्टियों को 31.10.2018 तक अद्यतन करते हुए Remarks कॉलम को Update करेंगे।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 नोडल/सहायक अई0 टी0 मैनेजर)

5. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत अनुरक्षण के संबंध में:–

MIS पर प्रायः कार्य प्रमण्डलों से Maintenance Module को अद्यतन नहीं किया जा रहा है। प्रमण्डल से वैसे पथों में भी अधियाचना किया जा रहा है जिसका MIS में मूल कार्य का अंतिम विपत्र भुगतान लम्बित है।

कार्यपालक अभियंता मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत अनुरक्षण मद् में अधियाचना करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पथ में मूल कार्य का अंतिम विपत्र का भुगतान किया जा चुका है। MIS में निर्माण कार्य के वित्तीय भुगतान के पश्चात् Final Bill Pass अंकित किया जाना अनिवार्य है। MIS पर मूल कार्य का अंतिम भुगतान किये जाने के उपरांत ही पथ Maintenance Module में जाता है। अबतक जितने भी पथों में वर्षवार अनुरक्षण राशि प्राप्त किया जा चुका है उनका अद्यतन प्रविष्टि MIS में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 नोडल/सहायक अई0 टी0 मैनेजर)

6. माननीय विधान मंडल सदस्यों से प्राप्त बसावटों की सूची जिसे राज्य पूरक कोर–नेटवर्क के रूप में तैयार किया जाना है, का भौतिक सत्यापन के पश्चात MIS पर प्रविष्टी 15 नवम्बर तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 नोडल/सहायक अई0 टी0 मैनेजर)

7. सभी राज्य कोर–नेटवर्क पथों का MIS पर Updation का कार्य प्रगति में है। Updation के कार्य में प्रत्येक दिन पथों की वर्त्तमान स्थिति का प्रविष्टी अनिवार्य है। पथ के चयन एवम् प्रशासनिक स्वीकृति के बाद MIS पर अंकित आँकडों में पूर्व की अभ्युक्ति परिवर्तित पायी जाती है। अतः निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक MIS पर दर्ज Updation के कार्य में पुनः आवश्यक संशोधन किया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 नोडल/सहायक अई0 टी0 मैनेजर)

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–BRRDA(HQ)-MMGSY-33/17 967 पटना, दिनांक– 5.11.18

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग/परियोजना प्रबंधक, MMGSY, कोषांग को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सचिव